WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-1 Issue-3
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(December 2024)

भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता : समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

मनोहर पंथी
सहायक प्राध्यापक

सारांश

राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो राज्य, सरकार, संविधान, राजनीतिक संस्थाओं, सार्वजनिक नीतियों, नागरिक अधिकारों तथा शासन प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन, जनसहभागिता तथा मानवाधिकारों के संरक्षण जैसे तत्व लोकतांत्रिक शासन के प्रमुख आधार बन गए हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित शासन व्यवस्था स्थापित की है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, लोक सेवा वितरण में तकनीक का उपयोग, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक चार्टर तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसी व्यवस्थाओं ने शासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विलंब, राजनीतिक अपराधीकरण, धनबल एवं बाहुबल का प्रभाव, चुनावी सुधारों की आवश्यकता, सामाजिक असमानता तथा डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ आज भी लोकतांत्रिक शासन के समक्ष विद्यमान हैं।

यह शोध पत्र भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की अवधारणा, संवैधानिक आधार, प्रमुख आयामों, प्रशासनिक सुधारों, सूचना के अधिकार, ई-गवर्नेंस, नागरिक सहभागिता, प्रमुख चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि प्रभावी, पारदर्शी, सहभागी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना से सुनिश्चित होती है।

बीज-शब्द

राजनीति शास्त्र, भारतीय लोकतंत्र, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, संविधान, लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, नागरिक सहभागिता, लोकतांत्रिक शासन।

1. प्रस्तावना

राजनीति शास्त्र राज्य, शासन, सत्ता, सार्वजनिक नीति तथा नागरिक-सरकार संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विषय है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनता की इच्छा के अनुरूप शासन स्थापित करना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक, गणराज्यात्मक, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है।

आज लोकतंत्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल चुनावों से नहीं, बल्कि शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही, न्यायिक स्वतंत्रता, नागरिक सहभागिता, प्रशासनिक दक्षता तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के आधार पर किया जाता है। इसलिए सुशासन आधुनिक लोकतंत्र की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, डिजिटल प्रशासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण तथा पंचायती राज जैसी व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र को अधिक सहभागी

बनाया है। वहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार, चुनावी व्यय, प्रशासनिक जटिलताएँ और संस्थागत चुनौतियाँ लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

2. शोध के उद्देश्य

1. सुशासन की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का विश्लेषण करना।
3. संवैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना।
4. ई-गवर्नेंस एवं सूचना के अधिकार की भूमिका का अध्ययन करना।
5. लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना।
6. प्रभावी सुशासन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के स्रोत -

प्राथमिक स्रोत

भारतीय संविधान

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013

73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन

द्वितीयक स्रोत

पुस्तकें

शोध पत्र

सरकारी रिपोर्टें

नीति आयोग

निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें

विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल

4. सुशासन की अवधारणा

सुशासन का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, न्यायपूर्ण तथा नागरिक-केंद्रित हो।

सुशासन के प्रमुख तत्व

पारदर्शिता

उत्तरदायित्व

विधि का शासन

जनसहभागिता

दक्षता एवं प्रभावशीलता

समानता एवं समावेशन

भ्रष्टाचार नियंत्रण

5. भारतीय लोकतंत्र का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान लोकतंत्र की मूल आधारशिला है।

प्रमुख विशेषताएँ

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

मौलिक अधिकार

नीति-निर्देशक तत्व

स्वतंत्र न्यायपालिका

संघीय व्यवस्था

संसदीय शासन प्रणाली

स्वतंत्र निर्वाचन आयोग

6. लोकतंत्र में पारदर्शिता का महत्व

पारदर्शिता से—

भ्रष्टाचार कम होता है।

नागरिकों का विश्वास बढ़ता है।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।

नीति निर्माण अधिक प्रभावी होता है।

लोकतांत्रिक संस्थाएँ मजबूत होती हैं।

7. उत्तरदायित्व के प्रमुख साधन

संसद एवं विधानमंडल

न्यायपालिका

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

निर्वाचन आयोग

केंद्रीय सतर्कता आयोग

लोकपाल एवं लोकायुक्त

सूचना आयोग

मीडिया

नागरिक समाज

8. सूचना का अधिकार एवं ई-गवर्नेंस

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने शासन में पारदर्शिता को नई दिशा दी।

ई-गवर्नेंस के प्रमुख लाभ

ऑनलाइन सेवाएँ

डिजिटल भुगतान

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

ऑनलाइन शिकायत निवारण

समय एवं लागत में कमी

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

9. पंचायती राज एवं जनसहभागिता

73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया।

प्रमुख लाभ

विकेंद्रीकरण

स्थानीय विकास

महिलाओं की भागीदारी

सामाजिक न्याय

जनसहभागिता में वृद्धि

10. भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

भ्रष्टाचार

राजनीति का अपराधीकरण

धनबल एवं बाहुबल

चुनावी व्यय

प्रशासनिक विलंब

सामाजिक एवं आर्थिक असमानता

डिजिटल विभाजन

फेक न्यूज़ एवं दुष्प्रचार

राजनीतिक ध्रुवीकरण

11. सुशासन हेतु सुधारात्मक सुझाव

1. चुनावी सुधारों को प्रभावी बनाया जाए।

2. राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
3. लोकपाल एवं अन्य निगरानी संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाया जाए।
4. ई-गवर्नेंस का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाए।
5. नागरिक शिक्षा एवं लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाई जाए।
6. सामाजिक अंकेक्षण एवं जनसुनवाई को प्रोत्साहित किया जाए।
7. भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

12. समकालीन परिप्रेक्ष्य

डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा गवर्नेंस, सोशल मीडिया तथा डिजिटल लोकतंत्र ने शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। भविष्य में पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख चुनौती होगी।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग है, जिसकी सफलता का आधार केवल नियमित चुनाव नहीं, बल्कि प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और सहभागी शासन व्यवस्था है। संविधान ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत आधार प्रदान किया है तथा सूचना का अधिकार, पंचायती राज, ई-गवर्नेंस, सामाजिक अंकेक्षण और लोकपाल जैसी व्यवस्थाओं ने शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया है।

इसके बावजूद भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, चुनावी सुधारों की आवश्यकता, प्रशासनिक जटिलताएँ, सामाजिक असमानता और डिजिटल चुनौतियाँ लोकतंत्र के समक्ष गंभीर प्रश्न प्रस्तुत करती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल विधिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नैतिक नेतृत्व, सक्रिय नागरिक भागीदारी और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं की भी आवश्यकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं। इन मूल्यों को सुदृढ़ करके ही लोकतंत्र को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और जनोन्मुख बनाया जा सकता है तथा भारत को एक सशक्त, उत्तरदायी और विकसित लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
3. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013।
4. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें।
5. नीति आयोग, भारत सरकार।
6. भारत निर्वाचन आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।
7. Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation.
8. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India.
9. M. Laxmikanth, Indian Polity.
10. Rajni Kothari, Politics in India.
11. Paul R. Brass, The Politics of India Since Independence.
12. B.L. Fadia, Indian Government and Politics.
13. Oxford University Press एवं Sage Publications के राजनीति विज्ञान संबंधी शोध ग्रंथ।
14. विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र एवं जर्नल।